न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– चम्पालाल जीनगर, RAS

प्रकरण सं. 12/2017 अपील

खातुन बी पत्नी मोहम्मद शफी मुसलमान, आयु 64 साल, निवासी कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा।

– अपीलाण्ट

//बनाम//

1. अनवर हुसैन पिता मोहम्मद शफी मुसलमान, आयु 47 साल, निवासी कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. शकिला बी पुत्री मोहम्मद शफी मुसलमान, आयु 55 साल, निवासी कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. शमीमी बानों पुत्री मोहम्मद शफी मुसलमान, आयु 50 साल, निवासी कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. शहनवाज पिता मोहम्मद रफीक मुसलमान, आयु 32 साल, निवासी कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा।
5. मोहम्मद इरशाद पिता मोहम्मद रफीक मुसलमान, आयु 29 साल, निवासी कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा।
6. महजबीन पुत्री मोहम्मद रफीक मुसलमान, आयु 25 साल, निवासी कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा।
7. मु. सीमा तबस्सुम बेवा मोहम्मद रफीक मुसलमान, आयु 55 साल, निवासी कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा।
8. ग्राम पंचायत कनेरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा।

– रेस्पोण्डेण्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 572 दिनांक 05.10.2017 ग्राम पंचायत कनेरा बाबत।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक 12.02.2018

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलाण्ट के कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा कनेरा की आराजी नं. 3283 रकबा 0.7800 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात अपीलाण्ट के पति सफी मोहम्मद पिता इब्राहिम मुसलमान निवासी कनेरा की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी और अपीलाण्ट के पति सफी मोहम्मद की स्वअर्जित सम्पत्ति थी। शफी मोहम्मद जी तथा अपीलाण्ट पति पत्नी होकर साथ में ही निवास करते थे और अपीलाण्ट द्वारा अपने पति शफी मोहम्मद की उनके जीवनकाल में उनकी मृत्यु तक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

काफी सेवा चाकरी की गई जिससे खुश होकर अपीलाण्ट के पति शफी मोहम्मद जी ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजीयात का वसीयतनामा दिनांक 13.05.2016 को रूबरू गवाहान निष्पादित किया गया था और उक्त भूमि अपीलाण्ट के स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है। ग्राम पंचायत कनेरा ने बगैर अपीलाण्ट को सूचना दिये वादग्रस्त आराजीयात का नामान्तरकरण रेस्पोण्डेण्ट के नाम दर्ज कर दिया जबकि अपीलाण्ट उक्त वसीयत अनुसार एकमात्र वैध अधिकारी होकर कब्जे काश्त में चली आ रही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो कब्जे की कोई जांच की गई, ना ही कोई विधिवत सूचना दी गई और मन मर्जी से नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जो निरस्त योग्य है। पूर्व में अपीलाण्ट को इस तथ्य की कोई जानकारी नहीं होने से निर्धारित समयावधि में अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी। पहली बार पटवार हल्का से जानकारी होते ही यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अन्दर मियाद हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार करते हुए स्वीकार फरमाई जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुए वादग्रस्त आराजीयात अपीलाण्ट के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेण्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोण्डेण्ट संख्या 2 से 8 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 ने मय अधिवक्ता उपस्थित होकर अपीलाण्ट के कथनों को स्वीकार किया तथा अपील स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। अपीलाण्ट ने नकल नामान्तरकरण संख्या 572 ग्राम पंचायत कनेरा तथा वसीयत दिनांक 13.05.2016 की प्रति प्रस्तुत की है। साथ ही भारत सिंह पिता मांगु सिंह राजपूत निवासी पिपलोदा, रतलाम तथा राजमल पिता मांगीलाल जैन निवासी मंदसौर के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं। प्रस्तुत नोटरीशुदा वसीयत के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट के पति द्वारा प्रश्नगत आराजीयात अपनी पत्नी अपीलाण्ट को वसीयत किया है। वसीयत के दोनों गवाहों ने भी शपथ पत्र प्रस्तुत कर वसीयत की प्रमाणिकता को साबित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण का निर्णय नहीं करते हुए विरासत के आधार पर सभी वारिसों के नाम दर्ज की गई है जो स्पष्टतया त्रुटिपूर्ण है। वसीयत के आधार पर निर्णय किया जाना अपेक्षित था। साथ ही अपीलाण्ट मौके पर अपना कब्जा बताती है जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न तो मौके पर कब्जे की कोई जांच की गई है और ना ही अपीलाण्ट को कोई विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाना प्रकट होता है। अपीलाण्ट एक पर्दानशीन महिला है जो दूरस्थ ग्रामीण अंचल में निवास करती है और कम पढ़ी

लिखी महिला है। ऐसी महिला को विधिक बारिकीयों की जानकारी नहीं होना स्वीकार योग्य है। अतः निर्धारित समयावधि में अपील प्रस्तुत नहीं किया जा सकने का अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत कारण स्वीकार योग्य है। अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। रेस्पोण्डेण्ट्स भी बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहे है तथा न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जिससे भी अपीलाण्ट की अपील को बल मिलता है। अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत कनेरा द्वारा निर्णित नामान्तरकरण संख्या 572 दिनांक 05.10.2017 को निरस्त किया जाता है। ग्राम कनेरा की आराजी नं. 3283 रकबा 0.7800 हेक्टेयर भूमि अपीलाण्ट खातुन बी पत्नी मोहम्मद शफी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। मोहम्मद शफी के अन्य सभी वारिसान का नाम खाते से विलोपित किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 12.02.2018 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(चम्पालाल जीनगर)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा